निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1931 (श0)

(सं0 पटना 418) पटना, बुधवार, 12 अगस्त 2009

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 जुलाई 2009

सं0 वि०स०वि०-13/2009-1704/वि०स०—''बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 28 जुलाई, 2009 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2009

[वि०स०वि०–12/2009]

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 12, 1962 की धारा–27 (1) का संशोधन** – (1) धारा–27 (1) में शब्द "अर्जित समझी जानेवाली" के बाद एवं शब्द "इस निमित्त बनायी गई नियमावली" के पूर्व शब्द "सभी भूमि" के स्थान पर शब्द "भूमि का पचास (50) प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय।

(2) धारा–27 (1) (vii) के बाद निम्नलिखित नई उप–धारा अन्तः स्थापित की जायगी :–

"27 (1 क) –राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अर्जित या अर्जित समझी जानेवाली भूमि का शेष पचास (50) प्रतिशत, इस निमित्त बनायी गई नियमावली के अध्यधीन समाहर्त्ता द्वारा उपर्युक्त धारा–27 की उप धारा–(1) के उप खण्ड– (i), (ii), (iii), (iv) में उल्लिखित श्रेणियों की महिलाओं के साथ बन्दोबस्त की जा सकेगी।"

उद्देश्य एवं हेतु

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देकर उनका सशक्तीकरण करना चाहती है । बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (बिहार अधिनियम – 12, 1962) की धारा–27 में उन सुयोग्य श्रेणियों के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा– 15 (1) के तहत अर्जित भूमि की बंदोबस्ती की जानी है । प्रस्तावित संशोधन उस व्यवस्था को उपबंधित करता है जिसके तहत ऐसी भूमि का कम–से–कम 50 प्रतिशत प्रस्तावित संशोधन के द्वारा आच्छादित श्रेणियों के व्यक्तियों में से महिलाओं के साथ बंदोबस्त करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ठ है ।

(नरेन्द्र नारायण यादव)

भार साधक सदस्य

पटनाः

दिनांक 28 जुलाई, 2009

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान–सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 418-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in